न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–205 / 2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रंजीत कुमार झा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

18/12/2020

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1417 / म0नि0को0, दिनाक–27.09.2020 से प्राप्त बहादुरपुर थाना कांड संख्या–197 / 20, दिनांक–03.05.2020 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल रजि0 सं0–BR07AU-8996** को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल गश्ती के दौरान ग्राम–गंगापट्टी में मिटु मिश्रा, पे0–स्व0 सतीश मिश्रा के अर्द्धनिर्मित मकान के पहुँचे तो देखा कि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल में लाल एवं भुरा रंग का थैला लटकाकर गंगापट्टी की ओर आ रहे थे। पुलिस बल को देख कर मोटरसाईकिल सवार घबड़ाकर भागने लगा जिसे पुलिस बल के सहयोग से घेर कर पकड़ लिया गया। तत्पश्चात् दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् उक्त मोटरसाईकिल **रजि0** सं0–BR07U-8996 की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में उक्त मोटरसाईकिल के बाँये हैण्डिल में टँगे लाल एवं भुरा रंग के थैला में रखे 180 एम0एल0 का 08 बोतल विदेशी शराब रॉयल किंग कंपनी का कुल–01.440 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एव परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त जब्त वाहन को दिनांक–01.12.2018 को श्री घनश्याम चौधरी, पिता–हरिदेव चौधरी, ग्राम–डरहार, दरभंगा को बेच दिये, जिसका शपथ–पत्र, बिक्री पत्र तैयार कर उसके साथ वाहन का सभी मूल कागजात दिनांक–01.12.2018 को श्री घनश्याम चौधरी को दे दिया, परंतु उनके द्वारा वाहन का स्थानान्तरण नहीं कराया गया। विपक्षी का अब उक्त वाहन से कोई मतलब नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 सं0–BR07AU-8996 के बाँये हैण्डिल में टँगे लाल एवं भुरा रंग के थैला से 180 एम0एल0 का 08 बोतल विदेशी शराब रॉयल किंग कंपनी का कुल–01.440 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त वाहन दिनांक–01.12.2018 को ही बेच चुके हैं। खरीददार द्वारा वाहन का स्थानान्तरण नहीं कराया गया, जबकि सभी कागजात बनाकर मूल कागजात भी दे दिया गया था। उक्त वाहन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विधिवत् उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु दावा भी नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049 / 2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित

वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का **प्रस्ताव समर्पित** किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बहादुरपुर थाना कांड संख्या–197/20, दिनांक–03.05.2020 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0–BR07U-8996 को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा